फर्द अहकाम

रामसहाय बनाम राजस्थान सरकार व अन्य

ाद संख्या 73 / 2023

नांक	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
3.10.2024	पत्रावली पेश हुई। उभयपक्षकारान उपस्थित। प्रतिवादीगण क्रमशः जयपुर विकास प्राधिकरण एवं तहसीलदार सांगानेर की ओ से प्रार्थना पत्र में जवाव प्रस्तुत किया। अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से अपने जवाब में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज करने का निवेदन किया। पत्रावली में बहस उपस्थित अधिवक्तागण सुनी गई। दौहराने बहस प्रार्थी अधिवक्ता ने वाद मे अंकित तथ्यों को दौहराया एवं अंत में निवेदन किया कि प्रार्थी को अप्रार्थी संख्या 1 की भूमि खसरा नम्बर 84 स्थित वाके ग्राम खोरी रोपाडा पटवार क्षेत्र लूनियावास तहसील सांगानेर जिला जयपुर में से 40 फीट चौडाई में जितनी भी लम्बाई हो रास्ता दिलवाया जाकर राजस्व मानचित्र में तदानुसार अंकन किया जाकर अप्रार्थी संख्या 1 को पाबन्द किया जावे कि वह प्रार्थी के आने जाने के रास्ते में कोई बाधा कारित नही करें। बहस उभयपक्षकारान अधिवक्ता अधिवक्ता पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर प्रार्थी की ओर से पेश प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल सुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो। निर्णय आज दिनांक 08.10.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2025.04.04 11:58:52 IST
Reason: SelfAttested